

रांची में, सोमवार, दिनांक 03 नवम्बर, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग को छोड़ कर, अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

जल संसाधन विभाग

1. राँची जिलान्तर्गत मांडर एवं चान्हो प्रखण्ड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रू० 236,20,81,000/- (दो सौ छत्तीस करोड़ बीस लाख इक्यासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 1. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग

2. 45-घाटशिला (अ०ज०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन हेतु रू० 7,84,00,000/- (सात करोड़ चौरासी लाख) मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। 2. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

3. राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने हेतु 2+5 Seater Twin Engine Bell-429 Helicopter की वर्तमान सेवा को (समान दर एवं शर्तों के साथ) आगामी 06 (छः) माह के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। 3. स्वीकृत।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4. डॉ० रंजित प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी-सह-निदेशक, एस०टी०डी०सी० के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय के संबंध में। 4. स्वीकृत।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
विभाग

5. Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन के संबंध में। 5. स्वीकृत।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

6. अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे तथा सुश्री निक्की प्रधान को झारखण्ड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखण्ड का निबंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति के संबंध में। 6. स्वीकृत।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

7. झारखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के खरीफ मौसम में अतिवृष्टि एवं खेतों में जलजमाव के कारण हुई क्षति को दृष्टिपथ में रखते हुए आकस्मिक एवं रबी 2025-26 के फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को 100% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में। 7. स्थगित।

पथ निर्माण विभाग

8. दुमका जिला अन्तर्गत "बरमसिया पी०डब्लू०डी० पथ से शहरघाटी पथ (कुल लम्बाई-8.130 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R&R सहित) हेतु रु० 44,93,31,800/- (चौवालीस करोड़ तिरानबे लाख इकतीस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में। 8. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

9. दुमका जिला अन्तर्गत "करमाटांड (PWD Road) से भोगतानडीह (PWD Road) पथ (कुल लम्बाई-7.775 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, R&R, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 35,81,42,200/- (पैंतीस करोड़ इक्यासी लाख बयालीस हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

10. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत सहयोग राशि 1.30 लाख (IAP)/1.20 लाख (Non-IAP) में वृद्धि कर सहयोग राशि 2.00 लाख किये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। 10. स्वीकृत।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

11. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका WP(S) No. - 6611 of 2018, बिनोद लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के याचिकाकर्ताओं को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के तत्समय आदेश-सहपठित-ज्ञापांक-2667, दिनांक-10.11.2012 द्वारा ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान 5200-20200, GP-1900/- के स्थान पर 5200-20200, GP-2400/- अनुमान्य करने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

12. षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के तृतीय (मानसून) सत्र 12. स्वीकृत।
दिनांक-01.08.2025 से 04.08.2025 तक तथा
दिनांक-22.08.2025 से 28.08.2025 तक के सत्रावसान
हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

13. झारखण्ड राज्य बहुदेशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) 13. स्वीकृत।
संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2025" के गठन
की स्वीकृति के संबंध में।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

14. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय 14. स्वीकृत।
अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/
राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के दिनांक-
01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सरकारी शिक्षकों के
पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति के संबंध
में।